"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 361] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2013—श्रावण 22, शक 1935

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-42/2013/वाक. (पं.)/पांच (52).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निष्पादित आवासीय प्रयोजन हेतु, स्व-वित्तीय योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों/प्रकोष्ठों के ऐसे पट्टे/विक्रय की लिखतों पर केवल भवन/प्रकोष्ठ के मूल्य पर, उन मामलों में स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है, जिनमें विक्रय/पट्टे का अनुबंध दिनांक 01-07-2013 के पूर्व हुआ हो. ऐसे प्रकरणों में सम्पूर्ण भू-खण्ड/अंश पर नियमानुसार शुल्क देय होगा. जिन मामलों में भवन/प्रकोष्ठ के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है, वापसी योग्य नहीं होगा.

स्पष्टीकरण :— छूट के प्रयोजन हेतु, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा स्व-वित्तीय योजना के अन्तर्गत निष्पादित अनुबंध के संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाएगा जो कि दस्तावेज का भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्रमांक एफ 10-42/2013/वाक. (पं.)/पांच (52).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-42/2013/वाक. (पं.)/पांच (52), दिनांक 13-08-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 13th August 2013

NOTIFICATION

No. F 10-42/2013/CT (R)/V(52).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government hereby remits the stamp duty chargeable only on the value of the buildings/apartments constructed for residential purposes, in cases of those instruments of sale/lease, executed by the Chhattisgarh Housing Board under the Self Finance Scheme, where the agreement for sale/lease has been made prior to 01-07-2013. In such cases stamp duty shall be chargeable on the value of entire plot/ share as per rules. Stamp duty shall not be refundable in case where it has been paid on the value of building/apartment.

Explanation:— For the purpose of this exemption-a certificate relating to the agreement executed under the Self Finance Scheme shall be granted by the Chhattisgarh Housing Board, and shall form a part of the document.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल . . . .

क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा श्री/श्रीमति/सुश्री . . . . पिता/पति का नाम . . . . निवासी . . . . को वर्तमान में प्रचलित स्व-वित्तीय-योजना के अन्तर्गत स्कीम क्रमांक . . . . योजना का नाम . . . . में . . . . वर्गमीटर भू-खण्ड/भवन आवंटित किया गया है. जिसके अनुबंध पत्र का निष्पादन दिनांक 01-07-2013 के पूर्व दिनांक . . . . को किया जा चुका है. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुबंध के अनुसार क्रेता (मूल आवंटिती) की रकम से ही भवन/प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है.

दिनांक :

स्थान :

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
. . . .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.